न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – श्री शिवपाल जाट, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 109/2017

1. मालाराम
2. भीखी देवी
3. सुशीला देवी
4. लीलादेवी पि0 स्व0 चैनाराम पुत्र हिम्मताराम
5. मांगीलाल
6. लूणाराम
7. सुगनीदेवी
8. अणचीदेवी
9. सुशीला देवी
10. संतोष देवी
11. गीता देवी पि0 स्व मेघाराम पुत्र हिम्मताराम
12. सुरजादेवी पत्नि स्व0 मेघाराम पुत्र हिम्मताराम जाति कुम्हार निवासीगण तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

– वादीगण

बनाम

1. कानाराम
2. मघाराम
3. जैसाराम
4. किशनलाल पि0 स्व. कुम्भाराम
5. प्रकाश
6. मुकेश
7. मनोज
8. आशा पि0 स्व. भंवरलाल पुत्र कुंभाराम
9. तुलछीदेवी पत्नि स्व. भंवरलाल पुत्र कुंभाराम जाति कुम्हार निवासीगण चक 303–700 आरडी तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती नक्शा जमाबंदी एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं धारा 136 एलआरए

उपस्थित

1. श्री लालचन्द जाट वकील वादी।
2. प्रतिवादीगण स्वयं।
3. पैरोकार राज स्टेट की ओर से।

–:निर्णय:–

दिनांक:– 16.08.2019

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पुर्वजो के नाम संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा रोही लूनकरनसर पुराना खसरा नम्बर 12 में 66.07 बीघा स्थित है। जिसमें वादी संख्या 1 ता 4 के पिता चैना

Scanned by CamScanner

उर्फ चेनिया व वादी संख्या 5 ता 12 के पिता/पति मेघला उर्फ मघाराम व सुखा पि0 हिम्मता का 1/2 हिस्सा बहिब व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पिता/दादा कुंभा का 1/2 हिस्सा दर्ज था एवं इसी हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज होकर सम्वत 2012 से पूर्व कब्जे एवं दखल में चला आ रहा है।

वादी गण के दादा हिम्मताराम के तीन पुत्र सुखा, मेघला व चेनिया थे। जिनके नाम वादगत भूमि 1/2 हिस्सा बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। सुखा छोटी उम्र में लाऔलाद फौत हो जाने के कारण वादगत भूमि में सुखा का हिस्सा वादीगण के पिता मेघा व चेना के नाम दर्ज हुआ जो जमाबंदी सम्वत 2015 से 19 में अंकित है तथा उक्त जमाबंदी के आधार पर तैयार गिरदावरी में सुखा का नाम काटकर मेघा व चेना का नाम दर्ज किया गया। फिर काट छांट कर कुंभा का नाम सुखा की जगह हिम्मताराम के वारिसानों के नामों के साथ दर्ज किया गया जबकि हिम्मताराम के कुंभा नाम का कोई पुत्र नहीं था। राजस्व अमलामाल ने सहवन से कुंभा का नाम सुखा की जगह दर्ज किया जा दुरूस्ती योग्य है। गिरदावरी सम्वत 2020 से 23 बनाई गई उसमें वादगत भूमि वादीगण के पिता चेना मेघा के नाम 1/2 हिस्सा व कुंभा के नाम 1/2 हिस्सा सही दर्ज की है। लेकिन बाद में राजस्व रिकर्ड में वादीगण के पिता के हिस्से की 1/2 भूमि में कुंभा का नाम दर्ज कर दिया गया। जो दुरूस्ती योग्य है।

रोही मौजा लूनकरनसर में भू प्रबंध विभाग द्वारा सम्वत 2017 से 25 के मध्य बन्दोबस्ती की कार्यवाही करके पुराना खसरा नम्बर 12 के नये खसरा नम्बर 115 तादादी 29.10 बीघा व ख.नं. 116 में 11.12 बीघा कुल 41.02 बीघा बनाकर मिसल बन्दोबस्त में भी वादीगण के पिता 1/2 हिस्से की भूमि में कुंभा का नाम दर्ज कर दिया गया। जो दुरूस्ती योग्य है।

उक्त वादगत भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आने पर खसरा नम्बर 115 की चक 308–200 आरडी के मु.नं. 193/27 कि.नं. 14/1 में 6 बिस्वा, 15/2 में 18 बिस्वा, 16, 17 दो बीघा, 18/2 में 6 बिस्वा, 22/2 में 6बिस्वा, 23 ता 25 तीन बीघा तादादी 6.12 बीघा अनकमाण्ड मु.नं. 193/28 कि.नं. 1/2 में 4 बिस्वा, कि. नं. 2/1 में 19 बिस्वा, 3 में 1 बीघा, 10/2 में 19 बिस्वा, 16 ता 20 पांच बीघा, 21/1 में 18 बिस्वा, 22/1 में 18 बिस्वा, 23/2 में 18 बिस्वा ताादादी 10.16 बीघा अनकमाण्ड कुल 17.12 बीघा अनकमाण्ड में फिटिंग होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पुर्वजों के नाम सम्वत 2012 से पूर्व की होने के कारण निशुल्क खातेदारी दर्ज हुई है जिसमें वादीगण के पुर्वजों का हिस्सा सही दर्ज नहीं किया गया। ख.नं. 115 का शेष रकबा नहर में चला गया। ख.नं. 116 की 11.12 बीघा भूमि में से 9.07 बीघा भूमि वापिस राजस्व क्षेत्र में आने पर उपनिवेशन क्षेत्र में जाने से पूर्व की स्थिति वापिस बहाल कर दी जिसमें भी वादीगण के पिता की 1/2 हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण के पिता/पति का नाम साथ में दर्ज कर दिया गया जिसे घोषणा के जरिये दुरूस्ती करवाने के वादीगण हकदार है एवं चक 308–200 आरडी के इंतकाल नम्बर 134 दिनांक 14.07.2016 को प्रभावहीन एवं शुन्य घोषित करवाने के वादीगण हकदार है। जिसकी बाबत वादीगण द्वारा धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआरए के तहत दावा प्रस्तुत किया।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए एंव वादपत्र में वर्णित सभी तथ्यों को स्वीकार कर वादवादीगण के हक में स्वीकार किये जाने एवं चक 308–200 आरडी के मु.नं. 193/27 की 6.16 बीघा 193/28 की 10.16 बीघा कुल 17.12 बीघा भूमि का विरासतन इंतकाल नम्बर 134 दर्ज होकर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम 1/2 1/2 बहिब पूर्व में दर्ज होकर स्वीकृत है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2011 जमाबंदी सम्वत 2016 से 19 गिरदावरी सम्वत 2016 से 19, 2020 से 23, 2031 से 34 एवं जमाबंदी 2067 से 70 जमाबंदी सम्वत 2025 रोही मौजा लूनकरनसर एवं जामबंदी सम्वत 2070 से 73 चक 308–200 आरडी की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया। अवलोकनापरांत एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबाल जवाब दावा के आधार पर हम पूर्णतया संतुष्ट है कि वादीगण 1 ता 4 व 5 ता 11 एवं 12 कि पिता पति स्व. चेनाराम व मेघाराम हिम्मताराम के पुत्र थे। जिनका वादगत भूमि में 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पिता/दादा/पति का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। जो अमलामाल की गलती से वादीगण के 1/2 हिस्से में स्व. कुंभाराम का नाम सहवन से दर्ज कर दिया गया। जबकि रिकार्ड से यह साबित होता है कि हिम्मताराम के दो पुत्र ही थे जिनका 1/2 बहिब व कुंभाराम का 1/2 हिस्सा है। वर्तमान रिकार्ड में चक 308–200 आरडी के मु.नं. 193/27 की तादादी 6.16 बीघा एवं 193/28 की 10.16 बीघा कुल 17.12 बीघा भूमि का उक्त गलत हिस्सा दर्ज किये जाने के कारण प्रतिवादीगण के नाम से जरिये विरासतन इंतकाल संख्या 134 दिनांक 16.07.16 दर्ज हो गया एवं इसी प्रकार रोही मौजा लूनकरनसर के खसरा नम्बर 116/2 की तादादी 9.07 बीघा भी उक्त गलत हिस्सा दर्ज किये जाने से प्रतिवादीगण के पिता/दादा/पति कुंभाराम का हिस्सा वादीगण 1 ता 9 के साथ कुंभाराम वारिसान का हिस्सा दर्ज कर दिया गया। चूंकि प्रतिवादीगण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद से पूर्णतया सहमत है। अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में इस प्रकार डिग्री किया जाता है कि रोही मौजा लूनकरनसर के खसरा नम्बर 116/2 की तादादी 9.07 बीघा में वादीगण के पिता के साथ प्रतिवादीगण के पिता/पति/दादा का नाम शामिल कर दिया गया है उसे कलमजन किया जाकर वादगत भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम 1/2 हिस्सा बहिब दर्ज किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है। अतः इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार लूनकरनसर मुताबिक निर्णय एवं डिक्री वादीगण स्व. चेनाराम एवं मेघाराम के वारिसान के नाम वादगत भूमि का अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त करें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : श्री शिवपाल जाट, आरएएस

मालाराम वगैरह **बनाम** कानाराम आदि

दावा बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एलआरए

मुकदमा नम्बर : 109/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वकील वादी श्री श्यामदीन पड़िहार**, मिनजानिब मुदई **पैरोकारराज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि रोही मौजा लूनकरनसर के खसरा नम्बर 116/2 की तादादी 9.07 बीघा में वादीगण के पिता के साथ प्रतिवादीगण के पिता/पति/दादा का नाम शामिल कर दिया गया है उसे कलमजन किया जाकर वादगत भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम 1/2 हिस्सा बहिब दर्ज किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है। अतः इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर मुताबिक निर्णय रिकार्ड दुरूस्त करें।

नीज .....- .....मुबलिक .....- .....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..... -..... फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक .....-..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 16.08.2019 को डिक्री जारी की गई।

16/8/19

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner